

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

जिला— बिलासपुर (छ.ग.)

—:: विज्ञापन ::—

क्रमांक 1516/स्था./2016.

बिलासपुर, दिनांक

03.03.2016

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र क्रमांक 1734/वित्त/ब-4/ दिनांक 24 नवम्बर 2011 के परिपालन में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से सीधी भर्ती द्वारा भरने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुर निरधारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्राचार्य, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 26.03.2016 को सायं 05:30 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

1. पदनाम तथा वेतनमान –

(क) प्रयोगशाला परिचारक – 5200-20200+ ग्रेड वेतन 1800

(ख) भृत्य/चौकीदार – 4750-7440+ ग्रेड वेतन 1300

नोट – वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

2. रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है –

क्र.	जिला का नाम	शासकीय महाविद्यालय का नाम	पदनाम	उपलब्ध पद	अनारक्षित					अ.जा.					अ.ज.जा.					अ.पि.व					महा. योग
					कुल पद	मु.	म.	वि.	भू.पू.सै.	कुल पद	मु.	म.	वि.	भू.पू.सै.	कुल पद	मु.	म.	वि.	भू.पू.सै.	कुल पद	मु.	म.	वि.	भू.पू.सै.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	बिलासपुर	शास. माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर (छ. ग.)	प्रयोगशाला परिचारक	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
			भृत्य	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

नोट – 1. उपरोक्त विज्ञापित में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।

2. रिक्त पदों में विवरण अनुसार आरक्षण का नियमानुसार पालन किया गया है

3. मु. = मुक्त, म. = महिला, वि. = नि:षक्तजन, भू.पू.सै. = भूतपूर्व सैनिक

3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतायें –

(क) प्रयोगशाला परिचारक – 10 वीं परीक्षा संबंधित विषय से उत्तीर्ण। (विज्ञान, गृहविज्ञान एवं भूगोल)

(ख) भृत्य/चौकीदार – पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण।

नोट – उक्त पदों के लिए चयन की प्रक्रिया समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर की जावेगी।

4. आयु सीमा –

(क) दिनांक 01.01.2016 को उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष से अधिक न हो।

(ख) छ.ग.शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला तथा अन्य अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट रहेगी

(ए) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवार को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट।

(बी) महिला– शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट।

(सी) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारकों के मामलों में अधिकतम आयु में दो वर्ष की छूट।

(डी) परिवार अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ग पार्टनरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट।

(ई) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार अथवा गुण्डाधर सम्मान अथवा महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव सम्मान अथवा राष्ट्रीय युवा व्यक्तियों पुरस्कार अथवा छ.ग. शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट।

(एफ) निःषक्तजन उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट, यह छूट छत्तीसगढ़ के जिला चिकित्सा मंडल अथवा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित निःषक्तजन के उद्यमी, पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन जबलपुर म. प्र. के अधीक्षक अथवा छत्तीसगढ़ के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित निःषक्तजन प्रत्याषी को ही दी जावेगी।

(जी) विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा के लिये देय अन्य छूट यथावत लागू रहेंगी। किन्तु ऐसी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ग) ऐसे उम्मीदवारों को जो शासकीय कर्मचारी हो या रह चुके हो, अधिकतम आयु सीमा में भी नीचे उल्लेखित शर्तों के अध्ययन तथा सीमा तक छूट दी जायेगी–

1. उपर्युक्त आयु – सीमा की छूट ऐसे उम्मीदवार के लिये भी स्वीकार्य होगी जो आकस्मिकता निधि में वेतन पाने वाला कर्मचारी हो या कार्यभारित कर्मचारी हो या जो शासन द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में नियोजित किया गया हो।

संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. ऐसे उम्मीदवार को जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा को अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की अवधि भले ही यह अवधि एक से अधिक बार में की गई सेवाओं

का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते की उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द “छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो शासन की अथवा किसी संघटक इकाई की शासकीय सेवा में कम से कम 06 माह तक निरंतर रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

5. ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द “भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो, तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 06 माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपन पंजीयन कराने तथा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्ण मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो—

1. ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व निवृत्ति रियायतों (आस्ट्रिंग आउटकेसेषन) के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया हो।
2. ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भरती किया गया हो तथा (क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण होने (ख) भर्ती की शर्त पूर्ण कर देने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो।
3. मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी।
4. ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो, (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीषन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं)
5. ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 06 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।
6. ऐसे सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हो,।
7. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त कर दिया गया हो कि अब से सक्षम सैनिक न बन सकेंगे एवं
8. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

नोट – उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा स्थानीय निवासी –

1. विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
2. इस विषयक सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छात्रापित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है

6. अन्य शर्तें –

1. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी का होगा।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही लिया जावेगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छत्तीसगढ़ राज्य के जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिषा-निर्देश लागू होंगे।
(क) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(ख) कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी समय भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

7. नियुक्ति चयन विधि –

(क) प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाना।

1. लिखित परीक्षा – 100 अंक

(ख) उपर्युक्त लिखित परीक्षा (जहाँ लागू हो) के प्राप्तांक के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची तथा अलग से संयुक्त प्रावीण्य सूचिया तैयार की जावेगी तथा प्रतीक्षा सूचिया भी तैयार की जायेगी, परन्तु ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्तकर्ता अधिकारी का ऐसी

जांच के बाद जो आवश्यक समझी जायें, इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार के योग्य है।

- (ग) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (बतल थ्वतूवंक) नहीं किये जाएंगे, वरन् उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।
- (घ) निःशक्त जन और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी के आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

8. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं यात्रा व्यय संबंधी लाभ नहीं मिलेगा।
9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – दिनांक 26/03/2016 (सायं 05:30 बजे तक)
10. परीक्षा की तिथि – दिनांक 03/04/2016
11. परीक्षा का समय – प्रातः 09:00 से 10:30 बजे तक
12. परीक्षा केन्द्र – लिखित परीक्षा का केन्द्र – शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) में रहेगा।
13. आवेदन पत्र – आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर ले कि वे नियुक्ति संबंधी समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं या नहीं? (यदि किसी आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन सूची से नाम/नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।)
14. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परीक्षा पर की जावेगी।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नियुक्तकर्ता अधिकारी का होगा।
- इच्छुक उम्मीदवारों को दिये गये प्रारूप में आवेदन पत्र प्राचार्य, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 26/03/2016 (सायं 05:30 बजे) तक प्रेषित करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक चाहे तो फुलस्केप सफेद कागज पर निर्धारित प्रपत्र केवल एक तरफ डबल स्पेस में स्वच्छ टंकित कर उसका उपयोग कर सकते हैं, परन्तु हस्तलिखित आवेदन पत्र (वांछित प्रविष्टियों को छोड़कर) मान्य नहीं होगा।

प्राचार्य

शास. माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)